

Form GST APL - 01
(Section 108C)

Appeal to Appellate Authority

1. GSTIN/ Temporary ID/ UIN- 09AAACG5135D2ZX
2. Legal name of the appellant - Kaksha Parekh
3. Trade name, if any- M/s Gem Aromatics Pvt Ltd
4. Address - Ujhani Budaon
5. Order no. ZD0911200143036 Order date 21.11.2020
6. Designation and address of the officer- J. C., (Corporate), Bareilly
passing the order appealed against -
7. Date of communication of the order appealed against- 21.11.2020
8. Name of the authorized representative: Kaksha Parekh
9. Details of the case under dispute- PAPERS ENCLOSED
- (i) Brief issue of the case under dispute- U/s 74 of GST

(ii) Description and classification of goods/ services in dispute- Essential Aromatics Oil

(iii) Period of dispute- 2019-2020

(iv) Amount under dispute: Rs. 2713595.00

Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
a) Tax Cess	649183.00	649183.00	NIL	
b) Interest	38430.50	38430.50	NIL	
c) Penalty	649183.00	649183.00	NIL	
d) Fees	NIL	NIL	NIL	
e) Other charges	NIL	NIL	NIL	

(v) Market value of seized goods - Rs. Nil

10. Whether the appellant wishes to be heard in person - Yes / No / YES

11. Statement of facts:- Attached

12. Grounds of appeal:- Attached

13. Prayer:- TO Annul the impugned order where in tax/Intrest/Penalty Totally imposed at Rs 2713595.00 as No wrong ITC was Claimed.

14. Amount of demand created, admitted and disputed

Particular of demand / refund	Particulars	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total amount
Amount of demand created (A)	Tax / Cess	649183.00	649183.00	NIL		
	Interest	58430.50	58430.50			
	Penalty	649183.00	649183.00	NIL		
	Other Charges					
Amount of demand admitted (B)	Tax / Cess	NIL	NIL	NIL		
	Interest	NIL	NIL	NIL		
	Penalty	NIL	NIL	NIL		
	Other Charges					
Amount of demand disputed (C)	Tax / Cess	649183.00	649183.00	NIL		
	Interest	58430.50	58430.50			
	Penalty	649183.00	649183.00	NIL		
	Other Charges					

15. Details of payment of admitted amount and pre-

deposit:- (a)Details of payment required

Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total amount
(A) Admitted Amount	Tax/Cess	NIL	NIL	NIL		
	Interest	NIL	NIL	NIL		
	Penalty	NIL	NIL	NIL		
	Other Charges	NIL	NIL	NIL		
(B) Pre-Deposit (10% of disputed)		64918.00	64918.00			

(b) Details of payment of pre-deposit () (pre-deposit 10% of the disputed tax and cess)
Total Amount Deposited

S.No.	Description	Tax Payable	Paid through Cash / Credit Ledger	Debit Entry No.	Amount of Tax Paid			
					Central Tax	State/UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Integrated Tax							
2	Central Tax	64913.00	Cash Ledger		64913.00			
3	State/UT Tax	64913.00	Cash Ledger			64913.00		
4	Cess							

(c) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid

Sr. No.	Description	Amount payable				Debit Entry	Amount paid			
		Integrated	Central	State/UT	CES		Integrated	Central	State/UT	CES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Interest	Nil	Nil	Nil	Nil		Nil	Nil	Nil	Nil
2.	Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil		Nil	Nil	Nil	Nil
3.	Late fee	Nil	Nil	Nil	Nil		Nil	Nil	Nil	Nil
4.	Other									

16. Whether appeal is being filed after the prescribed period - Yes / No - NO

17. If Yes in item - NIL

(a) Period of delay - NIL

(b) Reasons for delay - NIL. Verification

I, AVISHKAR BAJPAL ADVOCATE hereby solemnly affirm and declare that the

information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief

and nothing has been concealed there from.

Place: Bareilly

Date:

-(Signature)

Name of the Applicant

राज्य की लक्ष्य व अपीलीय आधार

1. यह कि जहाँ सम्पत्ती द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2014-2015 में विभाग से पैर अंतिमिष्य के अन्तर्गत पञ्जीकृत द्वारा निम्न संख्या का लक्ष्यपत्र-वर्षावली अधिनियम / नियमवली दिनांक 01/01/2017 से लागू किया जाने पर हमारे द्वारा निर्धारित की गयी विभिन्न प्रकार के अन्तर्गत वर्ष 2014-2015 के लिए (GSTIN-09AAAC001134032X) द्वारा किया गया, उपर्युक्त हमारे द्वारा लक्ष्यपत्र अधिनियम के अन्तर्गत जो कि लक्ष्यपत्र अधिनियम / नियमवली के लिए सभी अंतिम अंतिमिष्य आधार के पैरिड कम में गये गये निम्न प्रकार के हमारे द्वारा निर्धारित रूप से प्रति वर्ष निर्धारित प्रस्तुत करने का रहे है।

2. यह कि जहाँ सम्पत्ती द्वारा व्यवसायिक गतिविधि के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के एकीकृत एकीकृत अधिनियम की विशेष परिभाषितियों में अन्तर्गत अन्य प्रावधानों में करीब-बिक्री प्रारम्भ रूप से उपयोग विभिन्न प्रकार के अधिनियम को करीब अथवा उनके प्रोसेसिंग / उपकरण कर ऐसी उपस्थित करने की विधि अधिनियम के अन्तर्गत को को जारी है जहाँ हमारे द्वारा मुख्य व्यवसायिक गतिविधि आईटी पर निर्भर होती है, जिसके अन्तर्गत हमारे द्वारा निर्धारित प्रस्तुत का एकीकृत भी अधिनियम/नियम द्वारा जारी है जिसके अन्तर्गत अधिनियमों द्वारा भी को जारी है जिसके अन्तर्गत में अधिनियम/नियम व अधिनियम हमारे पास उपलब्ध है।

3. यह कि विभाग अधिनियम द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रारम्भ को लक्ष्यपत्र अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत अधिनियम किया गया है जिसके पूर्व लक्ष्यपत्र द्वारा हमें सम्पत्ती में नोटिफिकेशन किया गया था जहाँ अधिनियम अधिनियमों की अधिनियम पर भी अधिनियम किया गया था कि हमारे जहाँ न कर का रूप में जारी गयी इनवॉयस साफ्टवेयर पर जहाँ लक्ष्यपत्रों को विवरण कर दिया जाये तथा नियम/नियम धारा-122-ए के अन्तर्गत निर्धारित आईटीसी के लक्ष्यपत्रों को अन्तर्गत अधिनियम अधिनियम की अधिनियमों को जारी है।

जहाँ धारा-74 के अधिनियम के अधिनियम में हमारे द्वारा निम्न रूप अधिनियम किया गया है:-

4. यह कि संगठन वर्ष में हमारे द्वारा लक्ष्यपत्र वर्ष प्रारम्भ प्रारम्भ, अधिनियम द्वारा किया, लक्ष्यपत्रों में संगठन वर्ष अन्तर्गत 2014-2015 में कुल रूप-12044485.00 का निम्न अनुसार को करीब को है जिस पर विक्रय द्वारा रूप 12044485.00 लक्ष्यपत्रों अधिनियम/नियमों लक्ष्यपत्र प्रस्तुत किया गया है।

वस्तु का नाम	वस्तु (कि.सी.)	दर / कि.सी	मूल्य (रुपये में)	विक्रय द्वारा GST प्रस्तुत किया गया कर	विक्रय द्वारा GST प्रस्तुत किया गया कर	कुल विक्रय मूल्य (रुप)
सैन्ड विण्डर	1440-00	5000-00	7200000-00	432000-00	432000-00	8064000-00
सैन्ड लॉकर	2160-36	1610-00	3478054-00	213240-00	213240-00	3904494-00
योग				645240-00	645240-00	12044485-00

उपर्युक्त हमारे अधिनियम के लिए विक्रेता द्वारा जारी करने के अधिनियम दिनांक 01 जनवरी 2017 को हमारे अधिनियम अधिनियम से साल अन्तर्गत के अधिनियम के रूप में जारी कर प्रस्तुत करने है।

वस्तु का नाम	मूल्य (रुपये में)	विक्रय द्वारा GST प्रस्तुत किया गया कर	विक्रय द्वारा GST प्रस्तुत किया गया कर	कुल विक्रय मूल्य (रुप)

¹[Explanation.—For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services—

(i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person;

(iii) subject to the provisions of ²[section 41 or section 43A], the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of the said supply; and

(iv) he has furnished the return under section 39;

Provided that where the goods against an invoice are received in lots or instalments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or instalment;

Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability, along with interest thereon, in such manner as may be prescribed: [See Rule 37]

Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon.

(3) Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income-tax Act, 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed.

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or ³[***] debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier. [See Rule 37(4)]

³[Provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March, 2019 in respect of any invoice or debit note relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the financial year 2017-18, the details of which have been uploaded by the supplier under sub-

section (1) of ~~section 37~~ till the due date for furnishing the details under sub-section (1) of said section for the month of March, 2019.]

उपरोक्त प्रसंगों के परिपेक्ष में यह स्पष्ट संकेत प्रमाणित व सत्यापित है कि इनके द्वारा विक्रेता से खरीद गया वस्तु प्राप्त किया गया है साथ ही साथ विक्रेता द्वारा पेसे केने गये वस्तु के विवेक इमे टैक्स इनवाइस भी जारी किया गया है तथा विक्रेता द्वारा अपने ई-स्टोर GSTIN-1 तथा 3B में इसे जो गयी सिलो घोषित की गयी है तथा इससे प्रदत्त गया टैक्स आउट व CGST विभाग में जमा भी किया है साथ ही साथ इसने द्वारा विक्रेता से भी गणित का खरीद समेत इनके GSTIN-2A में प्रदर्शित हो रही है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा क्या कोई खरीद के सम्बन्ध में जो आउट व CGST कलेम किया गया उसे वापस कर में क्रेडिट किया जाता तथा यह देखागया कि इनके द्वारा खरीद की जा रही वस्तुओं की कमी है तदनुसार अधिम रूप में अर्जित आरंभित किये जाने का मत व्यक्त किया जाना अपेक्षित व विधिक नहीं होगा।

उक्त विधिक परिपेक्ष में उल्लेख है क्योंकि इनके विवर में धारा-14 के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्दिष्ट किया गया निरस्त विवर का से उचित नहीं है क्योंकि धारा-14 निम्न विधिवा परिपेक्ष में लागू होती है :-

Section 74. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts.

(1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or in whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 20 and a penalty equivalent to the tax specified in the notice.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least six months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of statement under sub-section (3) shall be deemed to be service of notice under sub-section (1) of section 72, subject to the condition that the grounds relied upon in the said statement, except the ground of fraud, or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax, for periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The person chargeable with tax may, before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 20 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment. [Sec 74(5)]

(6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under sub-section (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) pays the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within thirty days of issue of the notice, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded. [Sec Rule 142(3)]

(9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order. [Sec Rule 142(4)]

(10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within a period of five years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilized relates to or within five years from the date of erroneous refund.

(11) Where any person served with an order issued under sub-section (9) pays the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within thirty days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

Explanation 1.— For the purposes of section 73 and this section,

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 or section 74, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122, 125, 129 and 130 are deemed to be concluded.

Explanation 2.— For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

मौजूदा वास्तु-भूतल तर्जु को वा फर्स्टी ई जव वा इमतिहा सेव हो कि कर न अदा किवा वास हो अथवा कम कर अदा किवा वास हो वा **erroneously** गिनाव किवा वास हो वा अन्वय ई आ प्रेसिडर अतिपूर्ण हो के हमरे द्वारा अहित अथवा अतितापन किवा वा वास हो किवा प्रोवे घोषणा हो वा अननुसार रिमाट्टेमेन्ट (पलत-गवरी) दिवा अन्व वा

2 That the Jharkhand High Court in the case of *M/S. Tarapore & Company v. The State Of Jharkhand*, [WP(T) No. 773 of 2018], while interpreting the ITC provisions of Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 which are similar to the ITC provisions of CGST Act, held that ITC should not be denied to the purchaser of inputs simply because of the failure of the supplier of the inputs to deposit tax with the Government, as it is not within the competence of the purchaser to compel the supplier to deposit tax with the Government. Hence, even if the Respondent has failed to comply with the provisions of CGST Act, ITC will not be denied to the Applicant by the tax authorities.

3 That the petitioner have taken eligible ITC and also observed all the conditions of Section 16 (2) & 42 of the CGST Act, 2017 read with Rules 35 & 36 (A) of the SGST Rules 2017, therefore, it is entitled to claim the ITC of credit for Rs. 1,20,74,123/- which was blocked on 24-7-2020 without recording or communicating any reasons.

4 That the Hon'ble Supreme Court in the case of *Corporation Bank v. Saraswati Abharansala* (2009) 19 VST 84 (SC) explained there that the selling dealer collects tax as an agent of the Government. Therefore, the bona fide buyer cannot be put in jeopardy when he has done all the law requires him to do so. The purchasing dealer has no means to ascertain and secure compliance by the selling dealer.

5 That the need for the law to distinguish between honest and dishonest dealers was acknowledged by the Punjab and Haryana High Court in *Gheru Lal Bai Chand v. State of Haryana* (2011) 45 VST 195 (P&H) where the constitutional validity of a similar Section 8 of the Haryana DVAT Act, 2003 (HVAT Act) was being considered. It was held that:

"In legal jurisprudence, the liability can be fastened on a person who either acts fraudulently or has been a party to the collusion or connivance with the offender. However, law nowhere envisages imposing any penalty either directly or vicariously where a person is not connected with any such event or an act. Law cannot envisage an

almost impossible eventuality. The onus upon the assessee gets discharged on production of Form VAT C-4 which is required to be genuine and not thereafter to substantiate its truthfulness by running from pillar to post to collect the material for its authenticity. In the absence of any mala fide intention, connivance or wrongful association of the assessee with the selling dealer or any dealer earlier thereto, no liability can be imposed on the principle of vicarious liability. Law cannot put such onerous responsibility on the assessee otherwise, it would be difficult to hold the law to be valid on the touchstone of Articles 14 and 19 of the Constitution of India. The rule of interpretation requires that such meaning should be assigned to the provision which would make the provision of the Act effective and advance the purpose of the Act. This should be done wherever possible without doing any violence to the language of the provision. A statute has to be read in such a manner so as to do justice to the parties. If it is held that the person who does not deposit or is required to deposit the tax would be put in an advantageous position and whereas the person who has paid the tax would be worse, the interpretation would give result to an absurdity. Such a construction has to be avoided.

In other words, the genuineness of the certificate and declaration may be examined by the taxing authority, but onus cannot be put on the assessee to establish the correctness or the truthfulness of the statements recorded therein. The authorities can examine whether the Form VAT C-4 was bogus and was procured by the dealer in collusion with the selling dealer. The department is required to allow the claim once proper declaration is furnished and in the event of its falsity, the department can proceed against the defaulter when the genuineness of the declaration is not in question. However, an exception is carved out in the event where fraud, collusion or connivance is established between the registered purchasing dealers or the immediate preceding selling registered dealer or any of the predecessors selling registered dealer, the benefit contained in Form VAT C-4 would not be available to the registered purchasing dealer. The aforesaid interpretation would result in achieving the purpose of the rule which is to make the object of the provisions of the Act workable, i.e., registration of tax by the revenue by legitimate methods.

(1) यह कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा पैरा-74 के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के विरुद्ध प्रतिवादी को बिना लक्ष्यभाष्य रूप से विचारित किये / बिना विधिक अधिवक्ता को विचारित किये और न ही उद्धरित

किये गये न्यायिक निर्णयों को विचारित किये यह आदेश ने दिखानी अंकित की है कि प्रस्तुत किया गया प्रतिपादन स्वीकार योग्य नहीं है एक अन्ततया दिखानी है ।

अधिकारी द्वारा उक्त सम्बन्ध में ज़ोरदार अधिनियम की धारा-16 को संशोधित करने द्वारा यह अपेक्षा व्यक्त की गयी है कि हमारे द्वारा जो गैरकानूनी खरीद नामों एण्ड फोर्स मार्केटिंग ग्रुप लिमिटेड से प्रदर्शित इनवॉइस सत्यापित जो टैक्स इनवॉइस प्रविष्टिगत जो नाम प्रस्तुत की गयी है वे ज़ोरदार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है माल को माल वैलिड टैक्स इनवॉइस की नहीं है । जिसका कारण यह बताया गया कि आदेश में संशोधित इनवॉइसों में सत्यापन कापियों का नाम भिन्न-भिन्न अंकित है इस अपेक्षा के सम्बन्ध में अधिकारी द्वारा यह उक्त अंकित किया गया है कि टैक्स इनवॉइसों में सत्यापन का नाम सर्वोपरी नाम एण्ड फुल्ल मार्केटिंग ग्रुप लिमिटेड जबकि सत्यापन से प्राप्त इनवॉइस सत्यापित अधिकारी द्वारा जो अपने दिखानी/जखानों में दिखाई गयी है उक्त नाम नाम एण्ड फुल्ल मार्केटिंग ग्रुप लिमिटेड है माल ही माल इस सम्बन्ध में यह दिखानी की आदेश ने अंकित की है कि यदि एक नाम के लिये यह जानना भी कर ले कि मुख्यतः नाम माल अंकित जो नाम जो माल यह किसी की स्थिति में सम्बन्ध होता कि कलेंडर का कारण प्रदर्शित करने वाले कम्पनी को जो जाने वाली टैक्स इनवॉइस में उक्त नाम माल अंकित कर रही है । अतः ही यह है कि यदि वास्तविक आरोपण के सम्बन्धित टैक्स इनवॉइस होती तो एक दिन की माल को जानते दिन निश्चित रूप से सुधार किया जा होगा ।

उपरोक्त अपेक्षा के सम्बन्ध में द्वारा उक्त यह है कि यदि विचार की जूटि के कारण सत्यापन का नाम जो सर्वोपरी नाम एण्ड फुल्ल मार्केटिंग ग्रुप लिमिटेड है उसके सम्बन्ध पर सुरक्षा उसके द्वारा सर्वोपरी नाम एण्ड फुल्ल मार्केटिंग ग्रुप लिमिटेड अंकित कर दिया गया तो यह अन्ततया छोटी विधिगत की तस्वीरों की जूटि है न कोई जघन्य अपराध । ऐसी बातों में जब पहले में सत्यापन का नाम नाम एण्ड फुल्ल मार्केटिंग ग्रुप लिमिटेड ही परिलक्षित हुआ तो कभी भी किसी अधिकारी कम्पनी के अधिकार/सत्यापन सम्बन्ध के पर्यवेक्षण नहीं है कि अधिकारी द्वारा जो अंकित कर देते अपने पर इस प्रकार की नाम कर की विधिगत जूटि पर जान ही नहीं दिया गया । हमें अपेक्षा करने वाली खुशी यह भी है कि हमारे विचार अधिकारी द्वारा जिन विधिगत करने वाले विचार की समुची जूटि को भी इवेंटुअल हमारे विचार अपने निम्न विचार की जाने वाली कलेंडरों को कलेंडरों करने के लिये किया जा रहा है ।

17: यह कि विधान अधिकारी द्वारा इस विन्दु पर जो अपेक्षा व्यक्त की है कि सभी इनवॉइस सत्यापित जो गैरकानूनी टैक्स इनवॉइसों में सत्यापन के द्वारा अपना कारण स्पष्ट करे जो माल जानते देते निम्न मुख्यतः चन्दौली जिला मुख्यालय अंकित किया गया है जबकि पोरबल पर सत्यापन सर्वोपरी नाम एण्ड फुल्ल मार्केटिंग ग्रुप लिमिटेड के आन्ध्रप्रदेश/दिमाई में माल 547, अन्तिमगढ़, चन्दौली, मुख्यालय अंकित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण सत्यापित नहीं है अतः उनमें द्वारा निम्न निम्न माल कि माल नाम व माल कारण की सभी टैक्स इनवॉइस वैलिड करने हो सकती है ? इनके अतिरिक्त या जो प्रदर्शित किया गया कि सत्यापन द्वारा जारी इन टैक्स इनवॉइसों में कारण का अर्थ नाम जो जिन इनवॉइस अन्तर्गत भी दिखा रहे रहे है तथा इसी प्रकार अन्य टैक्स इनवॉइसों में सत्यापन का पता C/O विशाल सलौली निम्न अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत माल सत्यापन देते सत्यापन लाल अन्तर्गत इनवॉइसों में अन्तर्गत माल देते, सम्बन्धित निम्न मुख्यालय अंकित है जबकि उक्त जो सत्यापन कम्पनी द्वारा ज़ोरदार विचार जो अन्तर्गत जोड़ते नहीं किये गये है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत की गयी माल टैक्स इनवॉइस ही वैलिड नहीं है । (1) सभी टैक्स इनवॉइसों में विधिगत अन्तर्गत का नाम परदेख को जोड़ते निम्न सम्बन्ध है ।

उपरोक्त सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि निम्न देते हैं सत्यापन सर्वोपरी नाम एण्ड फुल्ल मार्केटिंग ग्रुप लिमिटेड का वास्तविक नाम जो ज़ोरदार प्रोर्टल पर सत्यापन है यह 547 अन्तिमगढ़, चन्दौली

विशेष ध्यानपूर्वक उल्लेख प्रवेश ही है इस लेख की मुद्रित आवृत्ति द्वारा की की जा रही है जल्द इस संपादन द्वारा जो मात्र हमें विभिन्न इन्वॉइसों से अलग-आलग पेट, मिश्रित गुरुद्वारा, बन्दीसी जिला मुख्यालय अंकित होने का प्रश्न है जल्द से 547 रजिस्ट्रार, बन्दीसी, मुख्यालय नामक सदन अत्याय रोड, मिश्रित गुरुद्वारा, बन्दीसी के नाम से ही जाना जाता था जिसके कारण संपादन द्वारा अलग विस्तार में यदि वह अंकित यह विचार गया था तबोलुद्ध देस इन्वॉइस जारी करते समय देस इन्वॉइस में यह पता अंकित हो जाता था जसेनाम से तथाकथम स्थिति यह है कि संपादन द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जो संशोधन प्राप्त किया गया था वह दिनांक 25.09.2017 से लागू हो जाने से इनमें मुख्य आधार तबले 547 रजिस्ट्रार, बन्दीसी मुख्यालय उल्लेख प्रवेश-344412 घोषित किया गया था इसके अतिरिक्त कारण तबले से पता में दो स्थान विभिन्न प्रकार घोषित किये गये थे-

- 1- 254 कार्गो संपादन रोड, संपादन, मुख्यालय उल्लेख प्रवेश।
- 2- 01 विश्व जलवा अटो स्टीर, अरोध्यालय, बलानु रोड, राजानी, बलानु, 3090

विधान अधिकाारी द्वारा प्रयोग प्रवेश-14 के अंतर्गत विचारित आदेश पारित किया है जहाँ इस नाम को विचारित ही नहीं किया गया है अतः हमें द्वारा जारी की संपादन की सम्बन्धित संपादन अधिकाारी से इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण ही नहीं किया गया अतः संपादन के पते को लेकर व संपादन उपरोक्त स्थिति द्वारा बलानु (बलानु संपादन) के पते को लेकर प्रमाणित विचारित आदेश में प्रमाणित स्थिति अधिकाारी की है जहाँ अधिकाारी द्वारा इस पते को विचारित नहीं किया गया कि ऐसे स्थानी से खरीदे गये मात्र जिसके द्वारा इनमें संपादन के दिने उक्त विचारित द्वारा जो इनमें अधिकाारी किये गये तथा पते खरीदे गये मात्र को इनमें अपनी सेवा पुरानों से विचारित कर दिया तथा स्टॉक संपादन में ही उक्त किया गया अतः देखा कि विचारित संपादन के संपादन अधिकाारी नाम से ही संपादन अधिकाारी करते हुए संपादन किया गया तब अधिकाारी संपादन द्वारा की गयी प्रमाणित स्थिति में निम्नोक्त सब से इनमें संपादन प्रवेश-344412 प्रवेश है स्थिति की पता में व जो संपादन के और व ही संपादन। अब देखा गया है अधिकाारी संपादन द्वारा उक्त विचारित व्यापारी से प्राप्त की गयी सभी देस इन्वॉइसों को संपादन व नामों द्वारा देस इन्वॉइस में अंकित आईटीसी का नाम इनमें द्वारा दिने जाने को अधिकाारी देस संपादन व संपादन नहीं है तथा अधिकाारी ही इस प्रकार को एतः इनमें अधिकाारी पर प्रमाणित खोज करती है।

यह कि अधिकाारी संपादन द्वारा संपादन द्वारा जारी किये गये देस इन्वॉइस पर जारी संपादन एवं आईटीसी स्थिति को अंकित व किये जाने के कारण पर ही प्रमाणित स्थिति स्थिति है जहाँ जीएसटी अधिनियम के प्रवेश-34 में जो देस इन्वॉइस के संपादन में 30 अक्षरों के अक्षरों अधिकाारी की गयी है उसमें अधिकाारी संपादन व स्थिति अंकित किया जाना अधिकाारी नहीं है अधिकाारी जो देस इन्वॉइस संपादन द्वारा जारी की गयी वह सभी स्थिति देस इन्वॉइस की।

13- यह कि विधान अधिकाारी द्वारा पुनः जीएसटी अधिनियम की प्रवेश-16 जो Eligibility and conditions for Taking Input Tax Credit से सम्बन्धित है उसमें निहित द्वितीय भाग के अंतर्गत में प्रमाणित विचारित आदेश में यह उल्लेख किया जा रहा है कि अब द्वितीय भाग पर जारी है जिसमें यह है कि आईटीसी ही स्थिति, जब प्रमाणित व्यापारी ने जो संपादन कर रहे व्यापारी ने मात्र अपना संपादन संपादन से प्राप्त की ही। आईटीसी अधिकाारी द्वारा जारी करने में व्यापारी पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रमाणित किये गये संपादन में जारी भी यह संपादन नहीं होता है कि व्यापारी द्वारा मात्र अपना संपादन ही संपादन अधिकाारी अधिकाारी प्राप्त की गयी है, क्योंकि संपादन नाम संपादन संपादन संपादन द्वारा घोषित किये गये मुख्य आधार संपादन 547 रजिस्ट्रार बन्दीसी की स्थिति जो मुख्यालय नामक सदन अत्याय रोड, मिश्रित गुरुद्वारा, बन्दीसी का पता है, जिसमें कोई भी मात्र का संपादन संपादन के संपादन से संपादन ही नहीं है

जीव शक्ति ही प्रकृत प्रेम पर मान का आधारता भी सम्भव नहीं है। मान ही जीव पर यह मान गया था कि जगत पर कोई व्यापार नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सर्वश्री जीव एन्वय एन्वय सर्वोद्विग्न प्रकृति द्वारा मान और प्रकृतियों की परीक्षा-विश्लेष का प्राथमिक कार्यकार नहीं किया जा रहा है। जब प्रकृतित विवेक द्वारा मान की व्याख्या अपूर्ति नहीं की गयी है। जो सर्वश्री जीव ऐरोमेटिकल 100 लिट्र प्रकृतियों प्राप्ति दिशाया प्रान्त भी उन्वयसम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में सर्वश्री जीव ऐरोमेटिकल प्राकृति द्वारा नोटिस के प्रकाश के विन्दु संख्या-8 पर लिखा गया कथन विचारणीय है। इस विन्दु पर उल्लेख किया गया है कि हमारे द्वारा सर्वश्री जीव एन्वय एन्वय सर्वोद्विग्न प्राकृति चन्द्रीसी से मान खरीदने से पूर्व मेरा के सम्बन्ध से अपना विष्णुजीवन अर्थात् प्रकृतित आर्कर प्रेरित किया जाता है जिसके अनुपालन में विवेकता कम्पनी द्वारा हमें मान के प्रान्त के लिये किलोवरी आर्कर नेल से मेला जाता है जिसमें विवेकता द्वारा यह उद्घाटन किया जाता है कि विवेकित मान में खरीद जाने का मान हमारे अमुक गोदाम से/ व्यापारिक स्वतंत्र से अपना मान्यता साक्षर अर्थात् स्वयंसे इन्वोयर्ट अर्थात् कल्लो मान की प्राप्ति करते हुये प्रान्त कर ले। ऐसे प्रान्त करते करते हमारे व्यक्ति का नाम भी विवेकता पार्टी को भूमिगत बन दिया जाता है तथा मान की किलोवरी जहाँ से बनती है वहाँ से भी स्पष्ट पर उपलब्ध विवेकता के कर्मचारी/मैनेजर/एक्जिक्यूटिव द्वारा ही हमको मान का इन्वोयर्ट इन्वोयर्ट/ट्रक इन्वोयर्ट/ई-वे-विल-उपलब्ध कराया जाता है।

अधिकारी महोदय की उपरोक्त जानकारी भी आश्चर्यचकित करने वाली है क्योंकि हमारे द्वारा पूर्व के अतीतगत जगहों में उनकी जानकारी के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे द्वारा विवेकता व्यापारी से मान की किलोवरी विवेकता रूप में प्राप्ति की है जिसे लेना मुनाफे में भी रखा किया गया है क्योंकि विवेकता व्यापारी द्वारा मान की किलोवरी से प्रान्त हमें अमुक ट्रेडर इन्वोयर्ट/ई-वे-विल/आउट-रामा मणी रोडप्रान्त भी जारी किया है जिसका नियंत्रण व साक्षर अधिकारी महोदय को हमारे द्वारा दिने गये नोटिस के प्रतिफल के रूप में प्रान्त भी किया गया था तथा कल्लो मान के सम्बन्ध में मुम्बई में अपने हेडक्वार्टर के ईकॉर्पोरेट में सम्बन्ध से आरटीजीएस द्वारा किया गया है। अब अधिकारी का यह कथन कि प्रकृतित विवेकता रूप में प्रान्त से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मान की प्राथमिक अपूर्ति प्रान्त की गयी है एवं अनर्गल व उन्वयविहीन दिशाया है। आपसे यह भी निवेदन करना है कि मिलने-देने रूप में मुख्य प्रान्त-रामर-रामर-आर-रामर-रामर, चन्द्रीसी विवेकता व्यापारी का प्रोटैज पर हल पता का तथा उसके अन्य उपरोक्त परिचित ब्राण्ड/ब्राण्ड/ब्राण्ड जो उसके द्वारा व जगहवारी को कल्लो प्रान्तित नहीं दिने गये थे तथा इस सम्बन्ध में प्रान्त द्वारा हमें लिखित रूप से अज्ञान भी कराया गया है। (यह ऐल बेपरवाहसेल से विवेकता कम्पनी द्वारा ही भेजा गया मान जो हमारे द्वारा प्राप्त किया गया प्रान्त सम्बन्ध में कोई कल्लो कथन चन्द्री किने जाने का कोई उल्लेख नहीं है। आपके रूप से यह भी विचारित किया जाता है कि सम्भवतः विवेकता द्वारा प्रान्तित प्रान्त पर मध्य को स्टोर किया जाने का स्थान न हो एवं ऐसी प्रान्त में प्रान्त द्वारा जो उपरोक्त परिचित ब्राण्ड/ब्राण्ड/ब्राण्ड खोली गयी जहाँ से उसके द्वारा हमें मान की किलोवरी प्राप्त कराती गयी, यह प्रान्त को प्रान्तित न किने जाने के अज्ञान पर विवेकता पार्टी ही दम्भ का भारी है न कि अपीलकर्ता जो न ही खरीद के इच्छावान के सम्बन्ध में कोई संशय किया जगह बर्धित है, और स्पष्ट इसी अज्ञान विच्छेदक इन्वोयर्ट मुम्बईप्रान्त द्वारा जीव के सम्बन्ध में प्रान्त प्रान्त पर कोई मान उपलब्ध होना नहीं प्रान्त गया। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि जब विवेकता पार्टी द्वारा उपरोक्त-प्रान्तित प्रान्त व्यापार सम्बन्ध के रूप में प्रान्तित किया गया था एक प्रान्तगत जीव के सम्बन्ध ही प्रान्तगत जीव अधिकारी द्वारा भी प्रान्तित नहीं की गयी था प्रान्तगत जीव जिसे ही विवेकता को प्रान्तगत प्रान्त कर दिया गया ? साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना है कि हमारे द्वारा जब की गयी प्रान्तगत खरीद के विन्दु अर्द्धोसी कल्लो को जाती है एवं ऐसी खरीद प्रान्तगत-2-ए में सम्बन्ध प्रान्तित होती है, अधिकारी महोदय द्वारा इस प्रान्त को साक्षर दिने जाने के सम्बन्ध में विचारित नहीं किया और न ही जीवस्टो प्रान्त से प्रान्तगत प्रान्तगत किया। ऐसी प्रान्त में विवेकता पार्टी से की गयी खरीद को अज्ञान प्रान्त व कल्लो की गयी अर्द्धोसी को अज्ञान प्रान्त हुये खरीद किया जगह अधिकारी महोदय की कारोवरी पर प्रान्तित प्रान्त है और अधिकारी द्वारा की गयी दिग्दर्शी

कि विवेक द्वारा भाग की खरीद-बिक्री का संबंध नहीं किया जा रहा है तथा विवेक द्वारा अधिलेखा प्रती कंपनी को भाग की आपूर्ति नहीं की गयी है एक सम्बन्धित विधानी है।

आपके स्तर से यह भी विधायित किया जाया है कि सम्बन्धित राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा सीटीटी वेबसी एफ्ट अक्ट्स क्लेम एसाईज इण्डिया लिड एफ्ट अपर्स टीएस-2-एससी-2018 गेट भी बाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधानीय स्थापना की विधानीय को खारिज करते हुए इसी बाद में भारतीय वेबसी उच्च न्यायालय के निर्णय को अपना किया गया जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा इन्पुट टैक्स क्रेडिट को खारिज करने द्वारा क्लेम किया गया था उसको विवेक व्यापारी की बिक्री आपूर्तिकी के कारण अनुमत्त नहीं किया गया था। इसी अधिलेखा इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय एफ्ट दूसरी बनाम सीटीटी 2001-127 ईएसटी-807 में भी भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा यह नया नया किया गया कि किसी बीएल को आईटीसी का लाभ मात्र इस कारण किनाई नहीं किया जा सकता बिल्वे किसी प्रकार की जुटे विवेक व्यापारी द्वारा की गयी है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में भारतीय विवेक उच्च न्यायालय द्वारा एक नोटिस बुधिमत्त एक बुधिमत्त को दिनांक 29.03.2019 में जारी करते हुए सुनवाई की दिनांक 18.9.2019 किया की गयी है जिसमें भारतीय न्यायालय द्वारा धारा-18 के तहत धारा-43-ए के निम्न प्रविधानों को दिने गटे नोटिस में खारिज किया है जो निम्न प्रकार है-

- Section 16(2)(c) of CGST Act provides for a condition wherein the recipient would only be entitled to Input Tax Credit if the tax charged in respect of such supply has been actually paid by the Supplier.
- The second proviso to Section 16(2)(d) provides that the recipient shall add an amount of Input Tax Credit availed, along with interest to the output tax liability if the recipient fails to pay the invoice amount to the supplier within 180 days.
- Proviso to Section 16(4) extends the benefit of availment of ITC till the due date of furnishing of return under Section 39 for the month of March, 2019 in respect of certain invoices, only if the supplier for such supplies has uploaded the details of such invoices in its return under Section 37(1) for the month of March, 2019.
- Section 43A(i) of the CGST Act provides that the supplier and recipient shall be jointly and severally liable to pay tax or pay ITC availed in relation to outwards supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) and (4) but returns thereof has not been furnished.

आपके स्तरान में यह उच्च भी जाना है कि उच्च द्वारा जो खरीद नया भाग में उच्च विवेक से की गयी उसने बने भाग की कुछ भाग एसपीटी भी की गयी है।

14- यह कि अधिलेखा न्यायालय ने हमारे इन निर्णय स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में भी संदेह व्यक्त किया है कि उच्च विवेक पार्टी से भाग खरीदने के पूर्व हमारे द्वारा जो अपना रिभ्यूवीयन अर्थात् परसेज आर्कर प्रोवा किया गया था जिसकी अनुमत्त में विवेक द्वारा हमें भाग के जमान को दिने मिलीवरी आर्कर बात में किया गया जिसने यह खारिज नया है कि निर्धारित भाग में खरीदा जाने वाला भाग खरीदकर्ता के कर्मचारी द्वारा अनुपु वेवाधानस/बाण से अपना स्तरान उच्च भाग की खारिज/खरीद कर ले क्योंकि इस संबंध को हमारे द्वारा विवेक स्तर से अधिलेखा की अधिलेखा करती हुई बाध्य भी संतान दिने गटे को उच्च अधिलेखा द्वारा अनुमत्त नया से यह दिखली किया जाता कि बाद की सुनवाई के समय ऐसे कारण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिने गटे से जो प्रस्तुत नहीं किये गए एक विधान-कल है क्योंकि हमारे द्वारा संबंध ही उपरोक्त अधिलेखा अधिलेखा के संबंध प्रस्तुत किये नहीं थे। हमारा यह भी प्रथम है कि अधिलेखा न्यायालय ने स्वयं इस निर्णय अथवा निर्णय का ही इस प्रकार को आदेश ही नहीं दिने थे। जहां इस

आधार पर प्रतिवृत्त निष्कर्ष निकालने का औचित्य नहीं है। जहाँ तक विवेक के व्यवहार/अपराध से अर्थात् जहाँ से हमारे द्वारा माह की डिजीबरी ली गयी वहीं से विवेक के कर्मचारी/एक्जिक्यूटिव द्वारा जारी देखा इन्वॉइस में त्रुटि आकर संभव / गिफि अकित न किये जाने का ज्ञान है यह औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि इन तथ्यों को विवेक के कर्मचारी द्वारा अकित न करने से सम्पूर्ण करीब के सम्बन्धित पर प्रभावित नहीं होगा या संभव । इसी प्रकार अधिकारी द्वारा इस सम्बन्धित के सम्बन्ध में जो विभिन्न प्रकार की विरोधाभासी प्रतिवृत्त दिशानीय अकित की गयी है यह भी औचित्यपूर्ण नहीं है जिसके आधार पर उनके द्वारा हमारे मामले करीब जो क्वॉरिंटेड विवेक व्यापारी से ली गयी है उस पर प्रभावित क्या करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि अधिकारी महोदय द्वारा अन्य तथ्यों को जो सम्बन्धित से सम्बन्धित है समझे विचारित ही नहीं किया जा रहा है।

15- यह कि विद्वान अधिकारी द्वारा खरीदे गये माह के दिव जो मुगलम अपने बम्बई सिविल मुक्यालय से सम्बन्धित विभिन्न बैंको के माध्यम से किया गया है उस पर प्रत्येक लगाते हुये पंजीवन प्राप्त करते समय हमारे द्वारा अपनी प्रथम मुक्यालय जो वॉन मनीस, उजानी, जिला बरार्ड में है उसके पंजीवन के द्वारा जारी इतल जारी कराई जाईगीवाई बैंक बैंक, निरिल लाइन्स, बरार्ड को ही पंजीवित किये जाने का उल्लेख करते हुये खरीद के सम्बन्धित के सम्बन्ध में किये गये मुगलम पर जो प्रत्येक क्या किया है जो अतृपि न्यायोचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार मुक्यालय के बैंको से मुगलम किये जाने पर कोई आराध किया जाना प्रभावित नहीं होता है । अधिकारी को यह ज्ञान भी पूर्णतया मिया है कि खरीद विवेक बैंक की मुगलम, वॉन को निरिल भी दिये गये बैंक खाते से स्टेटमेंट से नहीं जो रहा है एक अतृपिपूर्ण दिशानी है क्योंकि यदि ऐसा था भी तो मुगलम के समय उनके द्वारा अपीलकर्ता हमसे जो स्टेट एक्जिक्यूटिव व अधिकारी को इस सम्बन्ध में क्वॉरिंटेड साथ करने हेतु नहीं नहीं आगत करवा गया।

16- यह कि विद्वान अधिकारी को यह दिशानी कि अपीलकर्ता द्वारा लिखित प्रतिवृत्त में यह शर्तित किया जाना कि वेर अधिनियम की धारा-74 को अन्तर्गत ही गयी शर्तित विधि से उभिय नहीं है जिस पर अधिकारी ने हमारे द्वारा क्वॉरिंटेड को शर्तित और विधिक रूप से माना न किये जाने को दिशानी की है तथा धारा-74 के प्रतिवृत्त जो गिना प्रकार है-

Section-74. determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded of input tax credit wrongly availed or utilized by reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts

अपीलकर्ता प्रतिवृत्त को आधार पर अधिकारी महोदय द्वारा निकाला जा रहा पर निष्कर्ष कि उक्त से स्पष्ट है कि आईटीसी **Input tax credit wrongly availed or utilized by reason of fraud or an wilful misstatement or suppression of facts**, धारा-74 की परिधि में आता है और इसका मामले में संबंधी जैन ऐरोमेटिक्स प्राइ लिमिटेड इसी आईटीसी का उपयोग किया गया है जो संगठित है और इसे वास्तव में गिना-स्टेटमेंट परिलक्षित हो रहा है।

अधिकारी महोदय द्वारा अपीलकर्ता प्रकार की दिशानी जो प्रस्ताव विचारित अतिरि में की गयी है यह कदापि न्यायोचित नहीं है तथा हमारे द्वारा जब सम्पूर्ण खरीद के सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह प्रभावित करा दिया गया है कि हमारे द्वारा कोई भी गिना-स्टेटमेंट अथवा खरीदना आप बैंकटन अथवा संगठित व गिना-स्टेटमेंट नहीं किया गया है तथा केवल इसद्वारा अधिकारी द्वारा परिलक्षित करते हुये जो विरोध निष्कर्ष निकाला गया है यह विधिक रूप से उचित नहीं है। यहाँ यह तथ्य भी विचारणीय है कि यह हमारे द्वारा शर्तित शर्त एम्बस फूडस मार्केटिंग प्राइ लिमिटेड से ली गयी खरीद विधिगत व नियमानुसार योगित की है तथा क्वॉरिंटेड व्यापारी द्वारा भी हमें लीगली देती तिन्दी को जारी

सील/सीटिंग-1 में विहित रूप से पोषित किया है तथा इसे जो भी एसी मिश्री पर उनके द्वारा निम्नानुसार जोरसही कर भी प्रदा किया गया है जो विवेक के फौंडर से अधिकारी महोदय द्वारा न ही एक किया गया और न ही उसको नोटिस निर्गत करने हुये तथ्यो जो जोष भी गयी कर एक करका रूप से हमारे विन्दू पोषित करता पाटी से भी गयी खरीद की संकेत की मुद्रि से देखा जाना तथा हमारे द्वारा एसी खरीद पर क्लेम की गयी आईटीसी जो विधि विपरीत कर से ब्याक किया जाता वह भी बिना नोटिस दिये कसरी विहित रूप से उचित नहीं है।

धारा-74 को संशोधन में इसे निम्न तथ्यो भी संशुद्ध करने है जिसको अन्वय पर अपने द्वारा विचार किया जाना अपराधित में शामिल है जो निम्न प्रकार यकीन है-

applicable situations: Proceedings under Section 74 calls for greater responsibility on the part of department as well as taxable person. It also invokes extended period for 5 years; conclusion of proceedings as against lower period of 3 years under section 73. The applicability rests on following conditions:

- a. by reason of fraud, or
- b. any wilful misstatement or
- c. suppression of facts to evade tax.

FRAUD-The dictionary meaning is "wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain". A person or thing intended to deceive others, typically by unjustifiably claiming or being credited with accomplishments or qualities also describe fraud. The basic element of fraud is deceit. As per Section 35 of the Indian Penal Code ("the Code") fraudulently is defines as: "A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with the intent to defraud but not otherwise". According to the section 17 of Indian contract act 1872, fraud means making a suggestion, as a fact, which the person making does not believe to be true. Fraud also means active concealment of fact with a view to deceive the axchequer. Intension to evade duty is built in to the act of fraud. Fraud is against to public policy. The trace of fraud in GST proceedings make take variety of forms, designs and may involve one or more parties.

WILFUL MISSTATEMENT- Wilful means with intent to evade GST. Every misstatement need not be wilful. Wilful is deliberate or intentional. The dictionary meaning is "having or showing a stubborn and determined intention to do as one wants, regardless of the consequences." A false statement will be termed as wilful if it is intentional or deliberate. Misstatement must be wilful to invoke extended period of limitation.

SUPPRESSION OF FACTS TO EVADE TAX- Suppression means not providing information which the person is legally required to provide but deliberately not stated. Explanation 2. To section 74 states -For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer. Intension to evade tax is not mere failure to pay tax, it must be something more like deliberately avoiding payment of duty. If all facts are disclosed to department, extended period is not applicable.

One of the most controversial and debatable issues under taxation law is, perhaps the application of *mens rea* while imposing penalty for violation of statutory provisions. The conflicting judgments in this matter have made it more confusing. But one should not forget to notice that such pronouncements have been made by the Hon'ble Courts on the basis of the material facts, circumstances and relevant enactments of a particular statute. The provisions relating to penalty should be construed strictly and there should not be any ambiguity in such provisions. As there are really some stringent provisions in the CGST ACT, regarding imposition of penalty, it will be pertinent to analyse the matter in details.

What is mens rea

A penal liability can arise either from a criminal or civil wrong. There are three aspects in penal liability and those are conditions, incidence and the measure of penal liability. As regards the conditions of penal liability, it is expressed in the maxim *actus non facit reum nisi mens sit rea*. This means that the act does not constitute a guilt unless it is done with a guilty intention. The law deems a person fit subject for penal discipline when he has committed a prohibited or proscribed act with a guilty mind. There must be two conditions before fixing penal liability. The first condition is the *actus reus* or proscribed act. Salmond calls it physical or material condition of liability. If there is no act there can be no punishment. The second condition of penal liability is *mens rea* or guilty mind. An act is punishable only if it is done intentionally or negligently. Intention and negligence are the alternative forms in which *mens rea* can exhibit itself. When the law prohibits an act, it prohibits it in respect of its origin, its circumstances and its consequences. Out of numerous circumstances and endless chain of consequences, law selects some as material and they alone constitute the wrongful act, the rest being irrelevant. *Mens rea* must extend to the three parts of the act viz. the physical doing or not doing, the circumstances and the consequences. If *mens rea* does not extend to any part of the act, there should be no guilty mind behind the act and obviously no penal provision can be invoked.

Act

There is no textbook on criminal law which does not begin with, or early make, the assertion that every crime is composed of an act and intent. By itself such a statement is misleading. For even in ordinary parlance we do not refer to that which is not the result of some sort of mental activity, popularly referred to as intent or voluntariness, as an act. Thus, if I am engaged in the activity of writing words on paper I do so because I intend to do so, which is to say that the event of writing would not have resulted but for my brain's command to my hand to bring about the event. Thus, intent is not something separate or in addition to the act, it is rather a part thereof. An act, therefore, is a psycho-physical event. But not every psycho-physical event is an act because we know of human behaviour which does not result from any conscious order of the brain, which is, rather, the result of an unconscious mental drive, perhaps the result of disease - though not necessarily so - in any event, of forces emanating from the unconscious mind over which the individual has no instantaneous control.

Thus, we can truly talk of an act, as embodying the element of a conscious functioning of the mind; a willed muscular contraction, which incurs moral or legal liability only by virtue of the circumstances in which it is committed or the consequences it produces. An act may be mischievous in two ways- either in its actual results or in its tendencies. The first consists in those in which the act is wrongful only by reason of accomplished harm which in fact ensues from it. The second consists of those in which the act is wrongful by reason of its mischievous tendencies, as recognised by the law, irrespective of the actual issue.

Mens rea (guilty mind)

The conditions of penal liability are sufficiently indicated by the maxim *actus non facit reum nisi mens sit rea*. One of the greatest contributions of the Penal Code is restricting *mens rea* elements to four clearly defined types of culpability (blameworthiness). The four types of culpability were "purposely", "knowingly", "recklessly" and "negligently". Almost all the statutes largely adopted this same format but some have replaced "purposely" with "intentionally" and "negligently" with "criminal gross negligence". It is important to note that these forms of *mens rea*, intent or culpability never stand alone. They all apply to or modify some other element of the offence, such as the act element.

Culpable mental states are classified according to relative degrees, from highest to lowest, as follows:

- (1) Intention
- (2) Knowing
- (3) Reckless
- (4) Negligence

Intention

Intention is the purpose or design with which an act is done. It is foresight of the act, coupled with the desire of it. Such foreknowledge and desire are the cause of the act. A person acts intentionally, or with intent, with respect to (the nature of his conduct or) to a result of his conduct, when it is his conscious objective or desire to engage in the conduct or cause the result. This is a subjective form of culpability. Intention requires something more than mere foresight of the consequences, namely the purposeful doing of a thing to achieve a particular end. A man's intention ought to be judged by his act and not from what may be in his mind. It should be ascertained by taking into consideration the entire transaction.

Knowing

A person acts knowingly, or with knowledge, with respect to a result of his conduct when he is aware that his conduct is reasonably certain to cause the result. Like intentionally, knowingly is a totally subjective state of culpability. It must be proved that the person was aware of the relevant elements. Knowledge applies to or modifies (1)

the nature of the conduct (2) the existence of certain circumstances (3) the result in hand. Knowingly and intentionally are frequently grouped together as an offence.

Reckless

A person acts recklessly, or is reckless, with respect to circumstances surrounding his conduct or the result of his conduct when he is aware of but consciously disregards a substantial and unjustifiable risk that the circumstances exist or the result will occur. The risk must be of such a nature and degree that its disregard constitutes a gross deviation from the standard of care that an ordinary person would exercise under all the circumstances as viewed from the actor's standpoint.

Recklessness is both subjective and objective. The subjective portion is in the language "is aware of but consciously disregards." The objective portion is indicated by the language "its disregard constitutes a gross deviation from the standard of care that an ordinary person would exercise under all the circumstances".

Negligence

Negligence is culpable carelessness: it is the absence of such care as it was the duty of a person to use. Definitely carelessness excludes wrongful intention. These two are contrasted and mutually inconsistent mental attitudes of a person towards his acts and their consequences. A person acts with negligence, or is negligent, with respect to circumstances surrounding his conduct or the result of his conduct when he ought to be aware of a substantial and unjustifiable risk that the circumstances exist or the result will occur. The risk must be of such a nature and degree that the failure to perceive it constitutes a gross deviation from the standard of care that an ordinary person would exercise under all the circumstances as viewed from the actor's standpoint. "Care" under the theory of negligence or obligation means the conduct demanded of a person in a given situation. As carelessness varies in degree, what degree of it is necessary to constitute culpable negligence? The law demands the amount of care which is reasonable in the circumstances of a particular case. Negligence, therefore, is the omitting to do something that a reasonable man would do, or the doing something which a reasonable man would not do.

Strict liability

These are the set of acts for which a man is responsible irrespective of the existence of either wrongful intent or negligence. They are exceptions to the general requirement of fault. The law does not enquire whether a person has committed the wrong intentionally, negligently or innocently. It merely presumes the presence of the formal conditions of liability. The main reason is the difficulty of secure adequate proof of intention or neglect of the wrong-doer. Therefore, whenever the strict doctrine of *mens rea* would too seriously interfere with the administration of justice by reason of the evidential difficulties involved in it, the law tends to establish a form of strict liability.

The most important wrongs of strict liability fall into three categories:-

A. Mistake of fact—an erroneous mental condition, conception or conviction induced by ignorance, misapprehension or misunderstanding of a fact.

B. Mistake of law – an erroneous conclusion to the legal effect even having full knowledge of the facts

C. Accident – every act which is not done intentionally is done either accidentally or by mistake. It is done accidentally when the consequences are unintended. It is done by mistake when the consequences are intended but the actor is ignorant of some material circumstances.

Court pronouncement:

In assessing whether a mensrea element should attach to a certain offence, the courts primarily focus on legislative intent: did legislature intend to include a mensrea element when a statute is silent or, alternatively, did legislature intend to apply an existing mensrea element to every element of the offence? Whether an offence requires proof of a mensrea element is primarily a question of statutory interpretation: did legislature intend to include a mensrea element when drafting the statute? This is so, because the definition of an offence is entrusted to the legislature, solely a creature of statute. However, the express language of a statute is not always clear (1) which mental element should apply to a particular statute; or (2) to which elements of the crime a mensrea element should apply. To remedy this lack of textual clarity, the Court has applied a set of mensrea presumptions, which can be rebutted by evidence that legislature intended otherwise.

There have plethora of judgements both from the Hon'ble Supreme Court and different Hon'ble High Courts regarding this matter – e.g. C.A. Adithan vs. Income Tax Officer (1961) 41 ITR 425, Commissioner of Income Tax vs. Bhujji Desai & Co. (1961) 42 ITR 123, Paras Nath Jaiswal vs. Commissioner of Sales Tax (1961) UPTC 1197, Hindustan Steel Ltd. vs. State of Orissa (1970) 25 STC 211 (S.C.), Hindustan Import Export Corporation vs. State of Tamil Nadu [(1986) 69 STC 185 (Mad. H.C.)], (Wide Terevelyan's Life Macaulay) had collected the surcharge inadvertently and not with any motive, the above observations have been necessitated., Kishorlal Rakesh Kumar vs. Commissioner Sales Tax (1985) 58 STC 323 (All.), Rajam Textile vs. State of Tamil Nadu (1977) 39 STC 124 (Mad. H.C.), Jawa Industries, Nainital vs. Commissioner of Sales Tax, 1995 UPTC 1218 etc.

The essence of all the judgements is that mensrea is an essential ingredient of an offence but it is the legislative prerogative to exclude mensrea expressly or by necessary implication. The application of mensrea in fiscal law shall be only in such cases where the related penal provisions are so constructed that they warrant such application. The Legislature in its legal competence can always enact such provisions in fiscal law that the penalty may be imposed without the application of mensrea.

Provisions under CGST ACT, 2017

Penal provisions as embodied in CGST ACT, 2017 are to be applied in the light of the aforesaid discussion and judicial pronouncements. Penalty is imposed for certain offences under CGST ACT, 2017. But "offence" has not been defined in the Act. Therefore its meaning can be explored from other Acts, e.g. in section 3(36) of the General Clauses Act has to be applied in different enactments. It is pertinent to note that section 3(36) of the General Clauses Act, 1897 embodies following provisions:

“Offence” shall mean any act or omission made punishable by any law for the time being in force.”

To analyse the CGST ACT, the maxim *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, has however no application to the offences under CGST ACT in its purely technical sense because the ingredient of various offences contain “expressed propositions” as to the “state of mind” of the wrong-doer. The provisions state whether the act must have been done “falsely”, “intentionally”, “fraudulently” or the like. So *mens rea* will mean one thing or another according to the particular offence. The guilty mind may thus be a fraudulent mind, or a dishonest mind, or a negligent or rash mind.

17- यह कि उपरोक्त अपीलीय आदेश को सिन्धू से-16 के जनक-16 पर उद्योग लम्बी ले परिष्कार में अधिकारी को यह दिखाना कि अपीलकर्ता द्वारा उठायी गयी यह अपील कि आईटीसी ब्लॉक सिने माने के पूर्व कोई नोटिस नहीं दी गयी जमाना कोई तत्कालिक व विवेक बोरण न उठाये हुए जनक द्वारा भी गयी यह दिखाने कि मुक्ति विद्युतशा इकाई पुनर्प्राप्त द्वारा की गयी जीव पर यह माना गया कि उपरोक्त वर्णित विवेक मासरी द्वारा मान के कार्यालय इनपुट और आउटपुट सहाई का करीबान गयी किन्तु जो जो है जीव कोशला गोला कार्टोसी प्रेम के कार्यालय कार्यालय से फोर्स/काल्पुत कोशले में फोर इनपुट के प्रथम जो जो रही है तथा जो जो रही है यह तत्कालिक रूप से संभव है कि संभावित रूप से आईटीसी ब्लॉक कार्यालय की गयी निमित्त रूप से यह तथा प्रमाणित करना है कि अपीलकर्ता महोदय द्वारा जीवमासी विवेकमासी के विमान-88-ए के अन्तर्गत मुक्ति आईटीसी ब्लॉक करने हेतु हम बिना कोई नोटिस जारी किये आईटीसी ब्लॉक कर दी गयी उस अधिकारिक कार्यालयों को अन्वेषण करती है। इस प्रकार के तथा/दिखायी अन्वेषण न करित की गयी है जो जनकी आईटीसी पर प्रत्यक्ष लगता है, क्योंकि कार्यालय में इनपुट/आउटपुट करणे में पूर्व कितनी भी बीतर को पुनर्प्राप्त का संभव उद्योग किये जाने का अधिकाय नेमुरल करिष्कार की सिद्धांत के परिष्कार में संदेय बनता है तथा इस सम्बन्ध में अन्वेषण कार्यालय निर्माण में भी यह संभव किया गया है। अधिकाधिक महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी दिखानी कि जनक द्वारा विमान-88-ए के अन्तर्गत जो कार्यालयों की गयी है यह विवेक रूप से उचित है किन्तु भी प्रथम व स्थिति में उचित नहीं है। इसी प्रकार विमान अपीलकर्ता द्वारा प्राय-122-7 से अन्तर्गत की गयी अन्वेषण आरोपण की कार्यालय को विधि पूर्व माना हेतु की कार्यालय नहीं है।

18- यह कि अधिकारी महोदय द्वारा इस तथ्य को विचारित ही नहीं किया गया कि हमने द्वारा वर्ष 2018-2019 के दौरान जो खरीद विवेक सर्वश्री नार्थ एन्डस एन्डस मन्वैरिग प्रक लिप, चण्डीली से की गयी थी तथा वर्ष 2019-2020 के अन्तर्गत अपील व जुन में खरीद की गयी थी परन्तु अधिकारी महोदय द्वारा जनक विवेक मासरी को संभावित रूप से जीव विवेकमासी इकाई पुनर्प्राप्त द्वारा दिनांक 12/13 सितम्बर-2019 में जीव की गयी थी किन्तुके अन्तर्गत पर जनक द्वारा उचित खरीद को अन्वेषण उठाये हुए अन्वेषण अन्वेषण इन्वेषण के मासमान से ही खरीद किया जाता व आईटीसी प्रेम किन्तु जांच उद्योग गण अन्वेषण बीटीसी कर से मान की खरीद की ही नहीं गयी अन्वेषण मान ही नहीं प्राप्त किया गया परन्तु अधिकारी द्वारा इस तथ्य को उन्वेषण नकारात्मक किया गया कि हमने द्वारा तत्कालिक रूप से मान विवेक मासरी से प्राप्त किया गया जो तथा जो संभवनी सम्भावित विद्युतशा इकाई द्वारा की गयी जीव के कार्यालय पूर्व पूर्व जो प्राप्त था। अतः ऐसी स्थिति में हमारे स्तर से खरीद का सम्भवता किये जाने संभवनी सभी वांछित साक्ष्य इस्तेमाल किये जाने के सम्भवता किन्तु उद्योग अन्वेषण प्रमाणित किन्तु तथा बिना विवेक मासरी के रूप प्रती की जीव किये हमारे खरीद के सम्भावित का होता है नहीं फल रूप जो अन्वेषण सम्भवतः व विवेक नहीं है।

19- यह कि विद्यालय अधिकारी द्वारा आईटीसी स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में जो न्यायिक निर्णय हमारे द्वारा प्रायः-74 के दिने गये नोटिस के प्रतिस्तर में वर्णित किये गये थे उन्हें न्यायव्यतिरिक्त नहीं गणना किया जाएगा यह स्थिति देना तो कि अदालत निर्णयों का सम्पादन किया जा रहा है एक प्रकार की हत्यामिता का बहिष्कार है।

20- यह कि अन्ततः सर्वोच्च न्याय अदालत द्वारा मार्गदर्शित जात कि, कानूनी जो ऐरिन्टल कम्पनी सर्वोच्च न्यायिक अदालत कन्सिडरिड गेनेरलेन्ट प्रायः लिख है जो जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत भी है तथा हमारे द्वारा हमारा सफाई रूप में प्राप्त किये गये मात का एक-रखान/देनिटन और सर्वोपलान्त हमारे मात की बिक्री के सम्बन्ध किलीवरी अर्दे का कार्य केसहायता ऐक्ट के प्रविधानों के अनुसार किया जाता है यही पुनः उल्लेखित करना है कि हमारे द्वारा जो भी मात इनकाई सफाई के रूप में प्राप्त किया जाता है उसका सम्बन्ध नो रिपेन्टा अर्मे द्वारा नियमित टेक्स इनकाईस एवं ई-वे-विल जारी किये जाते हैं तथा प्रविधानों के अनुसार कानूनी प्रविधि से सम्बन्धित गैरप्राप्त/अपार/अज्ञान आदि मामलन रहते हैं सिनका इनकाईस कानूनी प्रविधि के न्यायिक प्रविन्टर एवं अन्त अन्तिलेन्ट में अन्तका के दैनिक काम में दर्ज किया जाता है।

21- यह कि हमारे सम्पादन की ऐरिन्टल कम्पनी कानून अन्त कौन्सिलेट प्रायः लिख के देयरइन्तल द्वारा सम्बन्धित प्रत्येक मात की अन्तिलेन्ट को विज्ञान अन्त में किये गये सम्पादनकारी का विवरण अनुसन्धानों के साथ कानूनी समिति के कार्यालय को एवं सम्बन्धित प्रविन्टर का विवरण को प्रेषित किया जाता है इससे यह बात हो जाता है कि केसहायता में उक्त मात में किये गये मात का विवरण न्यायिक स्था हुआ था, किन्तु तथा न्यायिक मात के अन्त में अपराध रहते हैं। केस हायला द्वारा रहे जा रहे न्यायिक प्रविन्टर में मात की मात गुरु, प्रकृत किये गये राज्य कर एवं कानूनी कर आदि का पूर्ण विवरण दर्ज होता है। इसके अधिनियम कानूनी समिति से सम्बन्धित सम्बन्धित विवरण तथा टेक्स इनकाईस से सम्बन्धित सम्बन्धित विवरण भी प्राप्त होते हैं। अतः इसका कोई सम्पादन नहीं रहती है कि न्याय के किसी सम्बन्धकार का अन्तका लेता प्रकृतियों में नो हो पाते।

22- यह कि विद्यालय अधिकारी द्वारा प्रकृतगत अन्तका में जो टेक्स/इन्टरेन्ट/विन्डरटी अन्तिलेन्ट भी होती है वह कानूनी विधिगत रूप से वर्णित नहीं है।

23- यह कि चरित प्रकृतगत कर / अन्तिलेन्ट अन्तका कानूनी एवं प्रविन्टरियों के सम्बन्धित विवरण तथा नैसुल अन्तिलेन्ट के सम्बन्धित भी वर्णित प्रकृतगत है।

24- यह कि उक्त अन्तका की सुन्काई के सम्बन्ध यह इस प्रकृत अन्तिलेन्ट में कोई भी अन्तिलेन्ट अन्तका जोड़ने का करने का अन्तका एन्टरेन्ट अन्तका की अन्तिलेन्ट प्रकृत करने की कृपा करें।

अन्तिलेन्ट

अतः प्रार्थना है कि अन्तिलेन्ट अन्तका करते हुए प्रकृतगत विवरण अन्तिलेन्ट के अन्तिलेन्ट अन्तिलेन्ट कर / अन्तिलेन्ट अन्तिलेन्ट को विवरण कर तथा नो न्याय कर / अन्तिलेन्ट की राशि के कानूनी के अन्तिलेन्ट को विवरण करने को कृपा करें।

आवृत्ति

मे अधिकतर बाकीई अधिकतम आठ दिनाक _____ मे बरेली मे अपीलकर्ता की ओर से
प्रस्तुत करता हूँ कि उक्त अपील आशर मुझे जगदीश द्वार की सभी भूखाना व विन्यास के आधार पर सत्य है।

३० _____

मे अधिकतर बाकीई अधिकतम अपीलकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत करता हूँ कि उक्त आशर मेरे प्रायः
समस्त आशर का ही सा रती है और उससे पहले प्रस्तुत नहीं की गयी है।

३१ _____